हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रेषकः सचिव, हरियाणा वि0 शि0बोर्ड, भिवानी।	सेवा में, सभी प्रधानाचार्य,मुख्याध्यापक

क्रमांकः– 3037/सै0 दिनांकः– 15.02.2023

विषयः–सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च–2023 से सम्बन्धित प्रवेश–पत्र हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। गत वर्षों में देखने में आया है कि परीक्षार्थियों के विवरणों में त्रुटियां रह जाती है तथा परीक्षार्थियां क फोटो/हस्ताक्षर भी गलत पाए जाते है जिसे समय रहते ठीक नहीं करवाया जाता है, इस कारण छात्रों को मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है। बोर्ड निर्णय अनुसार परीक्षा आरम्भ होने उपरांत फोटो/हस्ताक्षर ठीक नहीं किये जायेंगें।

इस सन्दर्भ में कुछ दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से हैं इनकी दृढ़ता से पालना की जाएः–

1. प्रवेश–पत्र का रंगीन प्रिंट A-4 साईज पेपर पर लिया जाना आवश्यक है।
2. प्रवेश–पत्र केवल पात्र परीक्षार्थियों को ही जारी किए जाऐं।
3. परीक्षार्थियों को प्रवेश–पत्र जारी करने से पूर्व, आवेदन करते समय स्कैन किया गया फोटो चिपकाकर फोटो तथा प्रवेश–पत्र आप द्वारा सत्यापित किया जाना है।
4. दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की अनुमति बोर्ड कार्यालय/विद्यालय/परीक्षा केन्द्र में दस्तावेज जैसेः– मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मैडिकल प्रमाण–पत्र,लेखक की सत्यापित दो फोटो,लेखक हेतु प्रार्थना–पत्र आदि जमा करवाने उपरान्त ली जानी अनिवार्य है। लेखक से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ई0मेल से बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने है।
5. परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें। प्रवेश–पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश–पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी को निर्देश दें कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय आई0डी0 कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि परीक्षा केन्द्र पर साथ लेकर जाएं तथा परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रिोनिक सामान जैसेः– मोबाईल, कलकुलेटर आदि का उपयोग वर्जित है।
7. शहीद सैनिकों के आश्रित,दिव्यांग परीक्षार्थी जो परीक्षा केन्द्र बदलना चाहते है एवं खिलाड़ी परीक्षार्थी जो देश–विदेश में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण परीक्षा बाद में देना चाहते है उनकी सूचना दिनांक 23.02.2023 बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करवाएं।

सहायक सचिव(सै0/सी0सै0)
कृतेःसचिव

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी हिदायतें/निर्देश पढ़ लिए गए है तथा इनकी दृढ़ता से पालना की जाएगी। यदि समय रहते कोई त्रुटि ठीक नहीं करवाई जाती है तो सम्बन्धित विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा।

मुख्याध्यापक/प्राचार्य